



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख 1948 (श10)
(सं० पटना 371) पटना, वृहस्पतिवार, 23 अप्रील 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
23 अप्रील 2026

सं० बी०1-3-63/2026-08—भोजपुर और बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् उप निर्वाचन की मतगणना के लिए अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-155/बिहार-वि.प./04/2025- (1) दिनांक 23.04.2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक 23 अप्रैल, 2026

वैशाख 03, 1948 (शक)

सं. 155/बिहार-वि.प./04/2025 (1):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट बिहार राज्य में, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, आयोग की अधिसूचना सं. 155/बिहार-वि.प./2003 (1), दिनांक 1 मई, 2003 के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:-

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र (1)	सहायक रिटर्निंग अधिकारी (2)
भोजपुर और बक्सर स्थानीय प्राधिकारी	- अपर समाहर्ता (लो०शि०नि०)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भोजपुर - जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर - निदेशक डी०आर०डी०ए० (लेखा), भोजपुर - निदेशक डी०आर०डी०ए०, एन०ई०पी०, भोजपुर - भूमि सुधार उप समाहर्ता, आरा सदर - भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो - भूमि सुधार उप समाहर्ता, जगदीशपुर - वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, भोजपुर - वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, भोजपुर - जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर

2. उपरोक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्तियाँ, बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए होने वाले उप निर्वाचन की मतगणना के लिए ही है। ये अधिकारी उपरोक्त निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप निर्वाचन के समाप्त होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi.110001/Dated: 23rd April, 2026
Vaisakha 03, 1948 (Saka)

No.155/BR-LC/04/2025 (1): - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, in addition to the officers appointed vide its Notification no. 155/BR-LC/2003 (1), dated 01st May, 2003, the following officers of Government as specified in Coulmn (2) of the TABLE below, as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Local Authorities' Constituency in the State of Bihar, specified in Column (1) of the said TABLE, in the performance of functions of such Returning Officer: -

Name of the Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
Bhojpur-cum-Buxar Local Authorities' Constituency	1. ADM (PGR)-Cum-District Public Grievance Redressal Officer, Bhojpur 2. District Panchayat Raj Officer, Bhojpur 3. Director DRDA (Account), Bhojpur 4. Director DRDA, NEP, Bhojpur 5. Deputy Collector Land Reform, Sadar Ara 6. Deputy Collector Land Reform, Piro 7. Deputy Collector Land Reform, Jagdishpur 8. Senior Deputy Collector-cum Incharge legal Section, Bhojpur 9. Senior Deputy Collector-cum- Incharge revenue Section, Bhojpur 10. District Welfare Officer, Bhojpur

2. The above appointment of Assistant Returning Officers is for the purpose of Counting of votes in respect of the bye Election to the Bihar Legislative Council from above mentioned Local Authorities' Constituency to be done. The Officers shall cease to function as Assistant Returning Officer immediately after the bye election from respective Constituency is over.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 371-571+50-डी0टी0पी0।
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>